न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/10/2014	2014/00007	10.03.2014	19.03.2024

1.सरकार जरिये महेश चंद शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, राजगढ, मुख्यालय अलवर।

बनाम

1.श्री सुखराम मीणा पुत्र श्री नैनाराम मीणा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम डोरोली, तहसील रैणी, जिला अलवर।

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 769 कि.ग्रा. गेंहू को राजसात करने बाबत्।

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका — वकील रैस्पोडेन्ट

–:निर्णयः–

प्रवर्तन अधिकारी राजगढ, मुख्यालय अलवर ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के आदेश क्रमांक एफ77(1) खा0वि0/विशे0 जांचदल /मुख्यालय/14 दिनांक 21.02.2014 की अनुपालना में दिनांक 25.02.2014 को श्री सुखराम मीणा पुत्र श्री नैनाराम मीणा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम डोरोली, तहसील रैणी, जिला अलवर परिसर में स्थित गोदान का निरीक्षण किया गया। जांच हेतु वीरेन्द्र शेखावत, जि0र0अ0 (विशेष जांच दल, जयपुर) बहमराह श्री रवि जाधव प्र0नि0, श्री सादिक अली प्र0नि0, श्री महेश शर्मा प्र0अ0, श्री विनोद जुनेजा प्र0अ0, श्री निशान्त पंचोली प्र0नि0 मौके पर पहुचें। मौके पर श्री सुखराम मीणा पुत्र श्री नैनाराम मीणा उपस्थित था। वक्त निरीक्षण दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। वक्त निरीक्षण दुकान खुली पाई गई। वक्त जांच डीलर के पास 769 कि0ग्रा0 गेंहू स्टॉक में अधिक पाया गया जिसका कोई रिकॉर्ड डीलर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। वक्त जांच जनवरी 2014 में आवंटित केरोसीन में से 846 लीटर केरोसीन की बिक्री का कोई रिकॉर्ड डीलर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि केरोसीन की कालाबाजारी किया जाना जाहिर होता है। इस प्रकार भौतिक सत्यापन के दौरान डीलर के स्टॉक में 769 कि0ग्रा0 गेंहू अधिक होना पाया गया जिसका कोई रिकॉर्ड और संतोषप्रद जवाब डीलर के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर पाये गाए 769 कि0ग्रा0 गेंहू को कब्जेराज किया गया एवं ग्राम में अन्य कोई डीलर नहीं होने के कारण कब्जेराज गेंहू को श्री सुखराम मीणा को बतौर सरकारी अमानत पृथक से फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार कर सुपुर्द किया गया। इस प्रकार श्री सुखराम मीणा पुत्र श्री नैनाराम मीणा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम डोरोली, तहसील रैणी, जिला अलवर द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

राशन वितरण में उपरोक्त अनियमितताएं बरत कर प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लघंन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है। अतः उक्त राजसात जब्तशुदा 769 कि0ग्रा0 गेंहू को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि गेंहू एक खाद्यान्न है तथा शीघ्र खराब होने वाली वस्तु होने के कारण अंतरिम निरतारण राशन कार्डों पर खाद्य सुरक्षा योजना में वितरण कर करवाने की कृपा करें। विभागीय कार्यवाही हेतु जांच रिपोर्ट खाद्य विभाग में प्रस्तुत कर दी गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित। अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी नोटिस 204 दिनांक 13.03.2014 के क्रम में अपने जवाब में निवेदन किया कि आपके कार्यालय का कारण नोटिस मिला जिससे जानकारी हुई की इसमें सुनवाई की तारीख पेशी 07.04.2014 है। सतर्कता दल खाद्य सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर ने दिनांक 25.02.2014 को निरीक्षण किया। जांच दल के समय 769 किलोग्राम गेंहू स्टॉक में अधिक होना दर्शाया गया है। जिसका जवाव इस प्रकार है कि प्रार्थी डीलर ने ग्राम पंचायत डोरोली का सभी योजनाओं का 188.80 क्वि0 गेंहू आंवटन के विरूद्ध थोक विक्रेता केवीएसएस राजगढ के द्वारा 180.34 किलाग्राम गेंहू का बिल जारी किया गया उसी के अनुसार मैने स्टॉक में गेंहू का इन्द्राज किया गया है लेकिन केवीएसएस राजगढ ने 8.06 किलोग्राम गेंहू का बिल जारी नहीं किया इसलिए मेरे स्टॉक में 8.06 किलोग्राम गेंहू अधिक मिला है। यह गेंहू केवीएसएस राजगढ के द्वारा अधिक खलाव किया गया है। इसमें प्रार्थी डीलर की किसी प्रकार की बदयान्ति व बदनियती नहीं रही है और ना ही प्रार्थी डीलर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कोई दण्डनीय अपराध किया है। अतः जवाब श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी डीलर निर्दोष है और प्रार्थी डीलर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कोई दण्डनीय अपराध नहीं किया

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। दिनांक 25.02.2014 को उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। वक्त जांच डीलर के पास 769 कि0ग्रा0 गेंहू स्टॉक में अधिक पाया गया जिसका कोई रिकॉर्ड डीलर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। वक्त जांच जनवरी 2014 में आवंटित केरोसीन में से 846 लीटर केरोसीन की बिक्री का कोई रिकॉर्ड डीलर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि केरोसीन की कालाबाजारी किया जाना जाहिर होता है। इस प्रकार भौतिक सत्यापन के दौरान डीलर के स्टॉक में 769 कि0ग्रा0 गेंहू अधिक होना पाया गया जिसका कोई रिकॉर्ड और संतोषप्रद जवाब डीलर के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जो प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है। अप्रार्थी द्वारा भी नोटिस के जवाब में अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत डोरोली का सभी योजनाओं का 188.80 क्वि0 गेंहू आवंटन के विरूद्ध थोक विक्रेता केवीएसएस राजगढ के द्वारा 180.34 किलोग्राम गेंहू का बिल जारी किया गया है लेकिन 8.06 किग्रा गेंहू का बिल जारी नही किया गया इसलिए स्टॉक में 8.06 किग्रा गेंहू अधिक मिला है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कथनों के संबंध में कोई साक्ष्य, सबूत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

पेश नहीं किए गए हैं। प्रार्थी विभाग द्वारा 769 किग्रा गेंहू जब्त किया गया है जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त संबंध को तथ्य पेश नहीं किए गए हैं। प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर 769 किग्रा गेंहू राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है है कि अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जमा राजकोष कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/3/24

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)